


कार्यालय जिला क्षयरोग अधिकारी / नोडल अधिकारी त0नि0का0, फ़ैजाबाद।

कार्यालय ज्ञाप

पत्रांक:—पु0रा0क्ष0नि0का0 / त0नि0का0 / 2017


दिनांक:— 14.12.2017

कोटपा अधिनियम 2003 के अन्तर्गत धारा 4 में दिये गये प्रविधान के अन्तर्गत राजकीय टी0बी0 क्लीनिक परिसर को तम्बाकू मुक्त घोषित किया जाता है जिसके अन्तर्गत परिसर के अन्दर तम्बाकू या अन्य तम्बाकू उत्पाद का सेवन या विक्रय किया जाना पूर्णतया प्रतिबंधित होगा। इसका उल्लंघन करते हुये पाये जाने पर रू0 200 अर्थादण्ड वसूला जायेगा धनराशि न जमा करने की स्थिति में तम्बाकू का सेवन करने वाले व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत कर चालान की कार्यवाही करायी जायेगी।


जिला क्षयरोग अधिकारी / नोडल अधिकारी
तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम अधिकारी
फ़ैजाबाद।

प्रतिलिपि:—निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी / अध्यक्ष जिला तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ, फ़ैजाबाद।
2. मुख्य चिकित्साधिकारी, फ़ैजाबाद।


जिला क्षयरोग अधिकारी / नोडल अधिकारी
तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम अधिकारी
फ़ैजाबाद।